

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ

महिला उत्पीड़न निवारण मानक संचालन प्रक्रिया

STEP 1

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत अध्यक्ष, महिला उत्पीड़न निवारण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है।
उक्त शिकायत का निरसारण कुल्सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उप्र०, लखनऊ
द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा किया जाता है।

STEP 2

शिकायतों की पुष्टि हेतु आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता एवं आरोपी से बैठक में लिखित/
मौखिक बयान लिया जाता है। संबंधित समिति
तदनुसार मामलों की जांच करेगी। समिति द्वारा शिकायतों
की पुष्टि के उपरान्त दोषी के विलक्षण यथावश्यक कार्यवाही
हेतु सम्बन्धित अधिकारी को संस्तुति की जायेगी।

STEP 3

शिकायतकर्ता को समिति द्वारा की
गयी कार्यवाही के बारे में सूचित किया जायेगा।
शिकायत के निराधार व अमान्य पाये जाने
की दशा में शिकायतकर्ता और जिस व्यक्ति के विरुद्ध
शिकायत की गयी है, को तदनुसार सूचित किया
जायेगा और नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही
की जायेगी।

STEP 4

किसी भी मामले में शिकायत
प्राप्त होने की एक माह की
अवधि में उसका समाधान
किया जायेगा।